



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229251
CG-DL-E-26082021-229251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3215]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943

No. 3215]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 3505(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 03.09.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3190(अ) में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित 04 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (डी) (i) से (iv) के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और प्रविष्टि निम्नानुसार होगी :

- “(i) श्री सतीश उपाध्याय
- (ii) श्री कुलजीत सिंह चहल
- (iii) श्रीमति विशाखा सैलानी
- (iv) श्री गिरीश सचदेवा”

3. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (एफ) के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और प्रविष्टि निम्नानुसार होगी :

श्री सतीश उपाध्याय - उपाध्यक्ष

[फा. सं. 14011/20/2019-दिल्ली-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 03.09.2019 की संख्या का.आ. 3190(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसे दिनांक 17.09.2019 की संख्या का.आ. 3352(अ), दिनांक 13.02.2020 की संख्या का.आ. 715(अ), दिनांक 21.04.2020 की संख्या का.आ. 1321(अ), दिनांक 18.05.2020 की संख्या का.आ. 1602(अ) और दिनांक 16.07.2020 की संख्या का.आ. 2383(अ) के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 3505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 3190(E) dated 03.09.2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 1, for Item No. (d) (i) to (iv) and the entry relating thereto, shall be substituted with the following and the entry shall be as follows:-

- “(i) Shri Satish Upadhyay
- (ii) Shri Kuljeet Singh Chahal
- (iii) Smt. Vishakha Sailani
- (iv) Shri Girish Sachdeva”

3. In the said notification, in paragraph 1, for Item No.(f) and the entry relating thereto, shall be substituted with the following and the entry shall be as follows:-

Shri Satish Upadhyay - Vice-Chairperson

[F. No. 14011/20/2019-Delhi-II]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3190(E), dated the 3rd September, 2019 and subsequently amended *vide* No. S.O. 3352(E) dated the 17th September, 2019, S.O. 715(E) dated 13.02.2020, S.O. 1321(E) dated 21.04.2020, S.O. 1602(E) dated 18.05.2020 and S.O. 2383(E) dated 16th July, 2020.